[भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 27/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

सा.का.नि.(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसअधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक संकलित आवर्त है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे देने के लिए नीचे यथा वर्णित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे ।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन ऐसे **प्ररूप जीएसटीआर-1** में देंगे, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक प्रस्तुतकरने है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	**तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं**	**प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे देने के लिए समयावधि**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	जुलाई-सितंबर, 2019	31 अक्टूबर, 2019

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019 के मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरों या विवरणी देने की समय-सीमा पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ।

[फा.सं.20/06/16/2018-जीएसटी]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार